

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2423

21 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

कपड़ा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

2423. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:

डॉ. सुजय विखे पाटील:

श्री विनसेंट एच. पाला:

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री जगदम्बिका पाल:

श्री कृष्णपालसिंह यादव:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में नियोजित असंगठित श्रमिकों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा क्या है;
- (ख) देश में कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) देश में कपड़ा निर्यात बढ़ाने और कपड़ा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान कपड़ा क्षेत्र में एफडीआई के माध्यम से निवेश की राशि सहित कुल निवेश का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार ने देश में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (च) क्या सरकार कपड़ा क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क): आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 के अनुसार, वर्ष 2019-20 में असंगठित क्षेत्र में रोजगार 43.99 करोड़ था।

(ख) से (घ): सरकार ने वस्त्र उद्योग को आधुनिक बनाने, निर्यात बढ़ाने और अखिल भारतीय आधार पर वस्त्र क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- i) सरकार ने वर्ष 2027-28 तक सात साल की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रु के परिव्यय से ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड स्थलों में सात प्रधान मंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र) पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है। ये पार्क वस्त्र उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, बड़े निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में सक्षम बनाएंगे।
- ii) सरकार ने देश में वस्त्र क्षेत्र को आकार और पैमाना प्राप्त करने और प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम होने के लिए मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 10,683 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय के साथ वस्त्र हेतु उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी है।

- iii) सरकार ने भारत में तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) हेतु 1480 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया है।
- iv) देश में रेशम उत्पादन उद्योग के विकास हेतु वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक सिल्क समग्र-2 योजना लागू की जा रही है।
- v) सरकार स्वदेशी वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु योजना-समर्थ, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना, एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम आदि जैसी विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम भी लागू कर रही है।
- vi) भारत ने अब तक हाल ही में संपन्न संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते और ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहकारिता और व्यापार समझौते और विभिन्न व्यापारिक भागीदारों के साथ 6 प्रेफ्रेंशियल व्यापार समझौते सहित 13 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय हित और घरेलू संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए वस्त्र सहित भारतीय उत्पादों की बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ, कनाडा जैसे व्यापारिक भागीदारों के साथ एफटीए हेतु विचार-विमर्श किया है।
- vii) बाजार पहुँच पहल योजना व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि का आयोजन करने और उनमें भाग लेने के लिए वस्त्र और गारमेंट्स निर्यात को बढ़ावा देने में लगे विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- viii) सरकार ने उदार और पारदर्शी निवेशक-अनुकूल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति बनाई है। वस्त्र क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है। वर्ष 2017 से 2022 तक वस्त्र क्षेत्र में एफडीआई के माध्यम से जुटाए गए निवेश की राशि 1522.23 मिलियन अमरीकी डॉलर थी।
- (ड): देश में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों के साथ निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं:
- रेशमकीट और रेशम उद्योग के क्षेत्र में समन्वयी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि खाद्य अनुसंधान संगठन, जापान के साथ समझौता ज्ञापन।
 - रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग में सहकारिता पर केंद्रीय रेशम बोर्ड और "उज्वेकिपकसनोत" के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
 - ऊन और ऊनी उत्पादों के क्षेत्र में सहकारिता पर एक संयुक्त कार्यसमूह की स्थापना हेतु वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार और कृषि, मछली पालन तथा वानिकी विभाग, ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
 - भारत, श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते के तहत टैरिफ रेट कोटा पर श्रीलंका से भारत में अपैरल आर्टिकल्स के आयात हेतु प्रक्रियात्मक व्यवस्था पर भारत और श्रीलंका के बीच समझौता ज्ञापन।
 - भारत और श्रीलंका के बीच हथकरघा, विद्युतकरघा और वस्त्र में छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के विकास में सहकारिता पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
 - वस्त्र समिति, भारत सरकार और मेसर्स निसेनकेन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर, जापान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- (च): सरकार पूरे देश में वस्त्र क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए कई प्रौद्योगिकी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने हेतु पीएम-मित्र, पीएलआई, एनटीटीएम आदि जैसी विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है।
